राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक 22 AUG 2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में एक बार से अधिक (दोहरा) लाभ देने के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान विहित है किन्तु उक्त आरक्षण का पुनः लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2016 में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

परिपत्र दिनांक 16.8.16 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.4.2018 में विहित प्रावधानों के मध्यनजर राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि किन्हीं नियमों में सीधी भर्ती के ऐसे पदों पर जहां भर्ती के समय उसके निचले पद पर किये गये कार्या का अनुभव निर्धारित किया हुआ है, में भूतपूर्व सैनिकों को परिपत्र दिनांक 16.08.16 में विहित प्रावधान "किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (civil employee) के रूप में ही माना जाएगा", के फलस्वरूप सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इससे न केवल राज्य सरकार द्वारा सभी पदों की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने में समस्या आ रही है, बल्कि सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित सभी पद भी रिक्त रहने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.16 के अतिक्रमण में भूतपूर्व सैनिकों को राज्य की सेवाओं में एक बार से अधिक (दोहरा) लाभ देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (status)

30/2019

खो देगा और वह केवल लोकसेवक (civil employee) के रूप में ही माना जाएगा । अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुनर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा।

परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जाएगा।

2. 'भूतपूर्व सैनिक' अन्य लोक सेवकों को सामान्य स्थिति में अनुज्ञात आयु आदि की शिथिलता जैसे लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा अर्थात राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यथियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।

3. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी निजी कंपनी में नियोजन प्राप्त करता है अथवा किसी स्वायत्तशासी संस्था, सार्वजनिक उपकम या राजकीय कार्यालय में आकस्मिक/ संविदा /अस्थाई /तदर्थ आधार पर नियोजन प्राप्त करता है तो उसे इस प्रयोजन हेतु लोक सेवक के रूप में एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सेवा से कर्मचारी को कभी भी हटाया जा सकता है।

4. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक, देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर, किसी एक लोक सेवा में पुनर्नियोजन स्वीकार करता है और उससे पूर्व उसने अन्य किसी पद की भर्ती हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है, तो उसे अपने सेवा नियंत्रक अधिकारी को ऐसे किए हुए आवेदनों की दिनांकवार पूर्ण सूचना/स्वघोषणा कार्यग्रहण के साथ ही प्रस्तुत कर देने की स्थिति में, ऐसे कार्यग्रहण से पूर्व किए हुए आवेदनों के संबंध में भी भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ देय होगा।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव

30/2019